

परन्तु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वोक्त रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाये, तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को सुनवाई तथा निपटारे के लिए अन्तरित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.— जिला न्यायाधीश या किसी भी अन्य न्यायाधीश को, जिसे कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत या अन्तरित की गयी है और जिसके द्वारा इस धारा के उपबन्धों के अनुसार उसकी सुनवाई की गयी है, इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसी कोई याचिका ऐसे किसी उम्मीदवार द्वारा, जो पराजित हो गया है, या जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया है, ऐसी रीति से, ऐसे आधारों पर और ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो विहित की जाये, एक हजार रुपये के निक्षेप के साथ प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) याचिका की सुनवाई करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायाधीश, यदि याचिका सारहीन पायी जाये, तो यह निदेश दे सकेगा कि उप-धारा (2) में उल्लिखित निक्षेप राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत किया जायेगा।

45. मुख्य नगरपालिक कृत्य.— (1) प्रत्येक नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वह अपने नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों के लिए युक्तियुक्त उपबंध और समुचित व्यवस्था करे, अर्थात्:—

- (क) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, जल-निकास और मल-वहन, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों तथा मलनालियों और ऐसे स्थानों, जो निजी संपत्ति नहीं हैं और जो जनता के उपयोग के लिए खुले हैं, चाहे ऐसे स्थान नगरपालिका में निहित हों या नहीं, की सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना और सभी लोक न्यूसेंसों को समाप्त करना;
- (ख) गंदगी, कूड़ाकरकट, विष्टा, दुर्गन्ध या किसी भवन या भवनों में या उनसे संबंधित शौचालयों, तहारतों, मूत्रालयों, मलकूपों या ऐसे पदार्थों को डालने के लिए अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ को हटाना;
- (ग) सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना;
- (घ) आग बुझाना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की संरक्षा करना;
- (ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना;
- (च) सार्वजनिक मार्गों या स्थानों तथा उन जगहों में, जो निजी सम्पत्ति नहीं हैं और जो जनता के उपयोग के लिए खुली हैं, चाहे ऐसी जगहें नगरपालिका में निहित हों या न हो, बाधाओं तथा बहिर्गत भागों को हटाना;

- (छ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना ;
- (ज) मृतकों तथा मृत जानवरों के शवों के निर्वर्तन के लिए स्थानों का अर्जन, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा विनियमन करना;
- (झ) सार्वजनिक मार्गों, पुलियाओं, नगरपालिक सीमा चिह्नों, बाजारों, वधशालाओं, नालियों, मलनालियों, जलनिकास संकर्मों, मलनाली संकर्मों, स्नानागारों, धोने के स्थानों, पेय-जल स्रोतों, तालाबों, कुंओं, बांधों और तत्समान अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उनका अनुरक्षण करना;
- (ञ) सार्वजनिक तहारतों, शौचालयों, और मूत्रालयों का निर्माण करना;
- (ट) मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन करना;
- (ठ) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना;
- (ड) नगरपालिका के भीतर ऐसे कुत्तों के परिरोध और परिरक्षण के लिए व्यवस्था करना, जिनके संबंध में इस अधिनियम की धारा 249 के अधीन कार्रवाई की जानी है;
- (ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या किसी नगरीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नगरपालिका द्वारा यथा-अपेक्षित पुलिस अधिकारियों के मद्धे वेतन का और उनके आकस्मिक व्यय का भुगतान करना और ऐसा स्थान उपलब्ध कराना जो

पुलिस से संबंधित प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाये;

- (ग) व्यक्तियों की संरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा और लोक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कृत्य और कर्तव्य, जो विहित किये जायें, करने के लिए स्वयंसेवी बल का गठन करना;
- (त) विष्ठा और कूड़ाकरकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए व्यवस्थाएं करना;
- (थ) कांजी हाउस स्थापित करना और उनका रख-रखाव करना;
- (द) जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना;
- (ध) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;
- (न) सड़कों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल, दोनों के लिए परिवहन टर्मिनलों, पुलों, ओवर-ब्रिजों, सब-वे, फेरीज के निर्माण और रख-रखाव सहित संचार प्रणाली और आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना;
- (प) यातायात अभियांत्रिकी योजनाओं, मार्ग-फर्नीचर, पार्किंग क्षेत्रों और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली उपांग तैयार करना;
- (फ) मानव बस्ती के लिए नये क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए व्यवस्था करना;

(ब) उद्यान एवं झरने स्थापित करके, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भू-दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए उपाय करना;

(भ) समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और डाटा का संग्रह करना;

(म) जिला या क्षेत्रीय विकास योजना, यदि कोई हो, के साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्कीमों को समेकित करना;

(य) शैक्षणिक, खेल संबंधी और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(यक) नगरपालिका के वित्त और उसके द्वारा हाथ में लिए गये विकास कार्य और अन्य गतिविधियों के बारे में तात्विक और महत्वपूर्ण सूचनाएं हितधारकों और आम जनता को प्रकट करना;

(यख) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना; और

(यग) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा-उपबंधित अन्य कानूनी या नियामक कृत्यों का पालन करना।

(2) नगरपालिका अपनी प्रबन्धकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता और नगरीय क्षेत्र में विद्यमान वास्तविक दशाओं को

ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त में से किन्हीं कृत्यों को नहीं करने, या उनकी पालना को स्थगित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार नगरपालिका को यथापूर्वोक्त में से किन्हीं कृत्यों का, यदि ऐसे कार्य का जिम्मा नगरपालिका द्वारा नहीं लिया गया है या उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया है, पालन करने का निदेश दे सकेगी।

(4) नगरपालिका यथापूर्वोक्त कृत्यों में से किसी के भी निर्वहन के लिए अपेक्षित अवसरचना की, या तो स्वयं या धारा 154 में निर्दिष्ट करार के अधीन किसी भी अभिकरण के माध्यम से, योजना बना सकेगी, उसका सन्निर्माण, प्रवर्तन, रख-रखाव या प्रबंध कर सकेगी।

46. **अन्य नगरपालिक कृत्य.**— नगरपालिका अपने मुख्य कृत्यों, जो नगरपालिक निधि पर प्रथम प्रभार होंगे, के संतोषप्रद निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से किन्हीं भी कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी, उनका निष्पादन कर सकेगी या उनके निष्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में—

(क) बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना और खुले स्थानों का रख-रखाव करना;

(ख) पौधों, सब्जियों और वृक्षों के लिए पौधशालाओं की स्थापना और रख-रखाव और जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली की वृद्धि;

(ग) पुष्प-प्रदर्शनियों का आयोजन और नागरिक संस्कृति के रूप में फूल उगाने को बढ़ावा देना; और

(घ) प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ii) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में-

(क) संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए जन टीकाकरण अभियान;

(ख) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार;

(ग) सभी सार्वजनिक तालाबों का रख-रखाव और सभी निजी तालाबों, कुओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों के पुनर्उत्खनन, मरम्मत और रख-रखाव का ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जिन्हें नगरपालिका ठीक समझे, विनियमन; और

(घ) प्रवचनों, सेमीनारों और सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की नागरिक चेतना की प्रोन्नति;

(iii) शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में-

(क) नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति;

(ख) संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और थियेटर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की और उनके लिए अवसरचना की प्रोन्नति;

(ग) नगरीय जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि;

(घ) नगरपालिक पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकों का क्रय और पत्रिकाओं, मेगजीनों और समाचार पत्रों का ग्राहक बनना;

- (ङ) समुचित रीति से मूर्तियां, चित्र और तस्वीर स्थापित करना;
- (च) कला-दीर्घाओं और वानस्पतिक या प्राणी संग्रहों की व्यवस्था, स्थापना और रख-रखाव;
- (छ) ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य महत्व के स्थानों और संस्मारकों का परिरक्षण और रख-रखाव; और
- (ज) सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वाचनालयों, पागलखानों, सभा-भवनों, कार्यालयों का संनिर्माण, स्थापना, रख-रखाव करना या रख-रखाव में योगदान करना;

(iv) लोक कल्याण के क्षेत्र में-

- (क) सूखा, बाढ़, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना और रख-रखाव और नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य;
- (ख) अस्पतालों, औषधालयों, आश्रयों, उद्धार गृहों, प्रसूति गृहों और बाल कल्याण केन्द्रों का संनिर्माण या रख-रखाव या उनकी सहायता के लिए प्रावधान;
- (ग) बेघरों के लिए आश्रयों का प्रावधान;
- (घ) हथ-सफाई कर्मियों और उनके परिवारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;
- (ङ) सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम की व्यवस्था और स्वैच्छिक संगठनों के क्रियाकलापों का समन्वय; और

(च) ऐसी सूचना के प्रसार के लिए अभियान, जो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो; और

(v) सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में-

(क) विशिष्ट व्यक्तियों का नागरिक सम्मान और ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना;

(ख) मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था और प्रबंध करना; और

(ग) लोकहित की सूचना का प्रसार।

47. सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्य.- राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगरपालिका से ऐसे अन्य नगरपालिक कृत्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी जिनका राज्य सरकार, उस नगरपालिका की आवश्यकता और संसाधनों का ध्यान रखते हुए उस नगरपालिका द्वारा पालन किया जाना उचित समझे।

48. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य.- (1) नगरपालिका के अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) धारा 58 में यथा-उपबंधित रूप में नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना;

(ख) जब तक कि युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना और धारा 337 की उप-धारा (2) के खण्ड (xiii) के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना;